अवतार सिंह और अन्य

बनाम

जग्जीत सिंह और अन्य

27 जुलाई, 1979

[एन. एल. ऊंटवालिया और ए. पी. सेन, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता-रेस ज्यूडीकेटा- अपीलार्थियों के मुकदमे के मुद्दों को सिविल न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था-सिविल न्यायालय ने माना कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-राजस्व न्यायालय में दायर याचिका-अभिनिर्धारित किया कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-अपीलार्थियों ने फिर से सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया - मुद्दा उठाया जाता है और पहले मुकदमे में तय किया जाता है यदि यह न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करता है।

अपीलार्थियों ने एक अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 (जो मुकदमे में प्रतिवादी था) के कहने पर मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक मुद्दा तैयार किया गया था। यह मानते हुए कि मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सिविल न्यायालय ने उचित राजस्व न्यायालय में पेश किए जाने के लिए शिकायत को अपीलार्थियों को वापस

कर दिया। राजस्व न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा एक याचिका की प्रस्तुति पर कहा कि उसके पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके बाद अपीलार्थियों ने अधीनस्थ न्यायाधीश की न्यायालय में फिर से मुकदमा दायर किया। मुकदमा रेस ज्यूडीकेटा आधार पर विफल रहा। अपील पर उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायालय के विचार को बरकरार रखा।

इस प्रश्न पर कि क्या प्रारंभिक मुद्दे पर अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय रेस ज्यूडीकेटा के रूप में कार्य करता है।

अपील को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया:

यदि किसी मामले में, प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय, अपने दम पर, अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद को वापस करता है, तो बाद के मुकदमे में आदेश रेस ज्यूडीकेटा के रूप में काम नहीं कर सकता है; लेकिन यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है और कोई मुद्दा उठाया जाता है और निर्णय लिया जाता है तो अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय बाद के मुकदमे में रेस ज्यूडीकेटा के रूप में काम करेगा, हालांकि इसके निर्णय के कारण ऐसे नहीं हो सकते हैं। [124 जी]

तत्काल मामले में, पहले मुकदमे में अपीलार्थियों को इस बात पर जोर देना चाहिए था कि मुकदमा सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य था, या, उन्हें राजस्व कार्यवाही में मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष ले

जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने भी ऐसा नहीं किया। राजस्व न्यायालय के पास सिविल न्यायालय के फैसले के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। [123 जी]

उपेंद्र नाथ बोस बनाम लाल और अन्य, एआईआर 1940 पी.सी. 222; अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया।

ज्वाला देवी बनाम अमीर सिंह, एआईआर 1929 ऑल 132; स्वीकृत नहीं किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2021/1969

एस.ए. संख्या 905/1963 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 15 जनवरी, 1969 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों की ओर से आर. के. गर्ग।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से हरदेव सिंह।

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से एन. एस. बिंद्रा और टी. एस. अरोड़ा।

न्यायालय का निर्णय **ऊंटवालिया, जे.** के द्वारा दिया गया।

यह अपील एक दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमे से उत्पन्न होती है जहाँ इस अपील में वादी अपीलार्थी इस न्यायालय में भी कुछ तकनीकी आधार पर विफल हो गया है।

अपीलार्थियों के मामले के अनुसार, कोई सरदार बलवंत सिंह की 10 मार्च 1955 को मृत्यु हो गई, जो केवल तीन बेटों, अर्थात् दो अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी संख्या 2, को पीछे छोड़कर गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावा किया कि वह बलवंत सिंह का चौथा बेटा है और उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने का हकदार है। अपीलार्थियों ने उप न्यायाधीश, बस्सी के न्यायालय में मुकदमा संख्या 41/1958 दायर किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की आपत्ति पर सिविल न्यायालय ने एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया कि क्या उक्त न्यायालय मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम था या यह एक ऐसा मामला था जिसे केवल निपटान आयुक्त द्वारा तय किया जा सकता था। आदेश दिनांक 7.7.1958 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि सिविल न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वादपत्र को उचित राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का निर्देश दिया। जब अपीलार्थियों ने राजस्व न्यायालय में अपना दावा दायर किया तो उनकी याचिका यह कहते हुए वापस कर दी गई कि राजस्व न्यायालय के पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके बाद अपीलार्थियों ने 2-4-1960 को उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, बस्सी की अदालत में मुकदमा संख्या 13/1960 दायर किया। यह मुक़दमा पूर्व रेस ज्यूडीकेटा आधार पर पूरी तरह से विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से बर्खास्तगी की पुष्टि की है कि मुकदमा संख्या 41/1958 में सिविल न्यायालय द्वारा

मुकदमा चलाने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर दिनांक 7-7-1958 को दिया गया निर्णय रेस ज्यूडीकेटा के रूप में कार्य करेगा। हमारी राय में उच्च न्यायालय सही है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर-दर भटकना पड़ा। जब उन्होंने सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तो उस न्यायालय ने माना कि इस पर मुकदमा चलाने का उसे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, तो उक्त न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। फिर अपीलकर्ता कहां जा सकते थे? हम अपीलकर्ताओं की दुविधा के प्रति सहानुभूति रखते हैं लेकिन उन्हें वैसा करने की गलत सलाह दी गई जैसा उन्होंने किया। या तो उन्हें पहले सिविल वाद में मामले का पालन करना चाहिए था और अंत तक जोर देना चाहिए था कि मुकदमा सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय था, या, उन्हें राजस्व के आदेश से मामले को उच्च अधिकारियों और न्यायालय के समक्ष आगे ले जाना चाहिए था और और इस बात पर कायम रहता कि पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने का अधिकार सिविल न्यायली के पास है या नहीं, यह मामला रेस ज्यूडीकेटा था; राजस्व न्यायालय के पास सिविल न्यायालय के निर्णय के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अपीलार्थियों ने दोनों मे से कुछ भी नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत सलाह के तहत उन्होंने

जो गलत रास्ते अपनाए, उनके कारण अंततः उन्हें रेस ज्यूडीकेटा की तकनीकी जमीन पर असफल होना पड़ा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है।

किल्लोवेन के लॉर्ड रसेल, *उपेन्द्र नाथ बोस* बनाम *लाल और अन्य*[1] मे, द्वारा यह बताया गया था कि किसी मामले की सुनवाई के लिए सिविल न्यायली के अधिकार क्षेत्र की कमी के सवाल के संबंध में रेस ज्यूडीकेटा हो सकता है, लेकिन-

> "एक न्यायालय जो अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करता है, वह अधिकार क्षेत्र को नकारने के कारणों से पक्षों को बाध्य नहीं कर सकता है: ऐसे कारण निर्णय नहीं हैं, और निश्चित रूप से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं हैं।" (देखें- पृष्ठ 225)।

उपरोक्त अनुच्छेद अपीलार्थियों की मदद नहीं करता, बल्कि उनके विरुद्ध जाता है। श्री गर्ग ने *ज्वाला देबी* बनाम *अमीर सिंह*[2] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भी भरोसा जताया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 132 पर कहा था:-

> "गंभीरता से देखने पर, अधिकार क्षेत्र का प्रश्न, इसके साथ ही प्रतिवादी द्वारा उठाया जा सकता है, एक ऐसा प्रश्न

1 ए.आई.आर. 1940 पी.सी. 222

2 ए.आई.आर. 1929 ऑल 132

है जो वस्तुतः वादी और न्यायालय के बीच ही उठता है। वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करता है। प्रतिवादी उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। यदि न्यायालय को लगता है कि वादपत्र पर विचार करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह इसे उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का आदेश देगा। प्रतिवादी, यदि वह उपस्थित होता है, और यदि वह चाहे, तो न्यायालय को बता सकता है कि उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय किसी भी तरह से पक्षों की स्थिति या एक पक्ष के दूसरे के खिलाफ निवारण प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई निर्णय बाद की मुकदमेबाजी में पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं है।"

हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय स्वयं ही अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद वापस कर देता है, तो बाद के मुकदमे में आदेश रेस ज्यूडीकेटा के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन यदि प्रतिवादी

उपस्थित होता है और कोई मुद्दा उठाया जाता है और निर्णय लिया जाता है, तब क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय बाद के मुकदमे में रेस ज्यूडीकेटा के रूप में कार्य करेगा, हालाँकि इसके निर्णयों के कारण इस प्रकार नहीं हो सकते हैं।

ऊपर बताए गए कारणों से हम इस अपील को खारिज करते हैं लेकिन पक्षों को निर्देश देते हैं कि वे अपनी लागत स्वयं वहन करें।

पी.बी.आर. अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।